संख्या- 37/1062/बयालिस-2015-08(निर्माण)/2012

प्रेषक,

अनिता श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खले अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 23 अप्रैल, 2015**

विषय- जनपद चित्रकूट में स्पोर्टस स्टेडियम निर्माण हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- जी0- 921/नि0 चित्रकूट स्टे0पत्रा0/2014-15, दिनांक 16 दिसम्बर, 2014 एवं शासनादेश संख्या- 2034/बयालिस-2012-08(निर्माण)/2012, दिनांक 21.11.2012, शासनादेश संख्या- 2638/बयालिस-2013-08(निर्माण)/2012, दिनांक 10.10.2013, शासनादेश संख्या- 902/बयालिस-2014-08(निर्माण)/2012, दिनांक 25.03.2014 एवं शासनादेश संख्या- 1920/बयालिस-2013-08(निर्माण)/2012, दिनांक 12 अगस्त, 2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय मूल प्रशासकीय स्वीकृत रू0 231.79 लाख के सापेक्ष प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आकलित लागत रू0 314.84 लाख (रू0 तीन करोड़ चौदह लाख चौरासी हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1)- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण करा लिया जाय।

(2)- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3)- कार्य की विशिष्टियां, मानक एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी खेल निदेशालय की होगी।

(4)- स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(5)- प्रायोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212(7) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। प्रश्नगत योजना हेतु पुनरीक्षित लागत स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(6)- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड- 6 के अध्याय- 12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के

http://shasanadesh.up.nic.in

पश्चात कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(7)- लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(8)- नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(9)- प्रश्नगत प्रायोजना विषयक मूल शासनादेश संख्या- 2034/बयालिस-2012-08(निर्माण)/2012, दिनांक 21.11.2012 एवं उपर्युक्त उल्लिखित अन्य शासनादेशों में वर्णित शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

2- उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अनिता श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

संख्या- 1062(1)/बयालिस-2015-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, चित्रकूट।
5- निदेशक, यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
8- नियोजन अनुभाग- 4
9- क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी चित्रकूटधाम मण्डल बाँदा।
10- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in